

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक – 2/PMC/कार्य –249/2013– /राँची, दिनांक

आंतरिक वित्तीय
सलाहकार से
औपचारिक रूप
से परामर्शित

प्रेषक,
ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,
महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू, राँची।


द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत "लतरातु जलाशय योजना के एक्सटेंशन रिनोवेशन एंड मोडर्नाइजेशन (ERM) कार्य हेतु राज्यांश एवं केन्द्रांश के 50:50 अनुपात में रू. 4094.73 लाख (रूपये चालीस करोड़ चौरानबे लाख तिहत्तर हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति" में प्रावधानित केन्द्रांश की राशि विलोपित करते हुए सम्पूर्ण ERM कार्य को राज्य योजना मद से पूर्ण कराने की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-26/14-15 प्र०स्वी० दिनांक 09.09.2014

आदेश-स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के प्रक्षेत्राधीन राँची जिले के लापुंग प्रखण्ड में निर्मित लतरातु जलाशय योजना के मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत "लतरातु जलाशय योजना के एक्सटेंशन रिनोवेशन एंड मोडर्नाइजेशन (ERM) कार्य हेतु राज्यांश एवं केन्द्रांश के 50:50 अनुपात में रू. 4094.73 लाख (रूपये चालीस करोड़ चौरानबे लाख तिहत्तर हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति" में प्रावधानित केन्द्रांश की राशि विलोपित करते हुए सम्पूर्ण ERM कार्य को राज्य योजना मद से पूर्ण कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।।
3. प्रासंगिक विभागीय पत्र से निर्गत स्वीकृत्यादेश की कंडिका- 9(iii) को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के आलोक में विलोपित किया जाता है।
4. इस पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
5. इस पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है।
6. इस पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।
7. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।



8. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक - 2/PMC/कार्य -249/2013- /राँची, दिनांक
प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना -सह- वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक - 2/PMC/कार्य -249/2013- /राँची, दिनांक
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक - 2/PMC/कार्य -249/2013- /राँची, दिनांक
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, खूँटी/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

24/03/17